रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-72

REGISTERED No. D.(D)-72

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

## असाधारण
## EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 575] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 28, 1978/पौष 7, 1900
No. 575] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 28, 1978/PAUSA 7, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 1978

का. आ. 742 (अ).—यतः भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का. आ. 507(अ) दिनांक 18 अगस्त, 1978 द्वारा मैसर्स राय बहादुर हुरदत्तराय मोतीलाल जूट मिल प्राईवेट लिमिटेड, 68, कॉटन स्ट्रीट, कलकत्ता (जिसे इसमें आगे उक्त उपक्रम कहा गया है) नामक औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18कक की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन 17 अगस्त, 1981 तक जिसमें वह तारीख भी सम्मिलित है, तीन वर्ष की अवधि के लिये, ग्रहण कर लिया गया है। और यतः केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि उक्त औद्योगिक उपक्रम के सम्बन्ध में अनुसूचित उद्योग, अर्थात जूट उद्योग में उत्पादन के परिमाण में कमी को रोकने की दृष्टि से, जन साधारण के हितों में ऐसा करना आवश्यक है।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 18 क ख की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा यह घोषणा करती है कि इस आदेश के जारी होने की तारीख के ठीक पूर्व प्रवृत्त ऐसी सभी संविदाओं, सम्पत्ति के हस्तांतरण पत्रों, करारों, व्यवस्थापनों, पंचाटों, स्थायी आदेशों या अन्य लिखितों का (जिनसे भिन्न जो बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के प्रतिभूत दायित्वों से सम्बन्धित हैं) प्रवर्तन, जिनका उक्त औद्योगिक उपक्रम या ऐसे औद्योगिक उपक्रम या कम्पनी को लागू हो, एक वर्ष की अवधि के लिए निलम्बित रहेगा और उक्त तारीख के पूर्व उसके अधीन प्रोद्भूत या उद्भूत वाले सभी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यतायें और दायित्व उक्त अवधि के लिये निलम्बित रहेंगे।

[फा. सं. 20/21/78-जूट]

एम के. सरकार, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF INDUSTRY

**(Department of Industrial Development)**

ORDER

New Delhi, the 28th December, 1978

**S.O. 742(E).**—Whereas by the Order of the Government of India in Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S. O. 507(E) dated the 18th August, 1978, the management of the industrial undertaking known as Messrs Rai Bahadur Hurdutroy Motilal Jute Mills Private Limited, 68, Cotton Street, Calcutta-7 (hereinafter referred to as the said industrial undertaking), has been taken over under clause (b) of sub-section (1) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951, (65 of 1951), for a period of three years upto and inclusive of the 17th August, 1981. And whereas the Central Government is satisfied that in relation to the said industrial undertaking it is necessary so to do in the interests of the general public with a view to preventing fall in the volume of production of the scheduled industry, namely Jute Industry ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 18FB of the said Act, the Central Government hereby declares that the operation of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force immediately before the date of issue of this Order (other than those relating to secured liabilities to banks and financial institutions) to which the said Industrial undertaking or the company owing such industrial undertaking is a party or which may be applicable to such industrial undertaking or company shall remain suspended for a period of one year and that all the rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date shall remain suspended for the said period.

[F. No. 20/21/78-Jute]

S. K. SARKAR, Joint Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1978